

र व  
काम  
न को  
जाती

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

18/3/20

पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी  
दिगर कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से  
पत्रावली ईत्तुवा होकर दिनांक 25/3/2021  
को पेश हो।




5/3/20

पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी  
दिगर कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से  
पत्रावली ईत्तुवा होकर दिनांक 22/4/2021  
को पेश हो।

2/4/20

कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार के  
निर्देशों की पालना में कोर्ट कार्यवाही स्थगित  
रखी गई थी जिसे राज्य सरकार के मार्गदर्शन  
के बाद पुनः जारी की जाकर पत्रावली आईन्दा  
दिनांक 2/7/2021 को पेश हो।

  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपस्थान्ध अधिकारी, बायड़ी


4/7/20

पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी  
दिगर कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से  
पत्रावली ईत्तुवा होकर दिनांक 20/7/2021  
को पेश हो।



20/7/20

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित।  
वकील शर्मा ने बहस में कथन किया  
कि वादग्रहण आराजी गाम वासनी अँबरा  
तहसील बायड़ी की सरहद में खेत खसरा  
सं: 1342/39 रकबा 55.4974 हेक्टर  
कांचे भूमि आई हुई है जिसमें शर्मा का 15/886  
हिस्सा निहित है, जिसके बाबत राजस्व  
रेकॉर्ड में शर्मा का नाम स्वीकृत करते समय  
उसमें शर्मा के उनके पिताजी का निजीक  
नाम लिपिकीय सुटे वशा में शाराम पुत्र  
सु शाराम नाम लिख दिया गया जब कि



सहायक कलेक्टर एवं  
उपस्थान्ध अधिकारी, बायड़ी



प्राची व उनके पिताजी का वास्तविक नाम दुर्गाशरम पुत्र सुरदाशरम है। प्राची अधिवक्ता ने राजस्व रेकर्ड में प्राची व उसके पिता का नाम शुद्ध कर सही नाम इन्फॉर्म करने वपर अधिशासक के कार्रवाई का निर्देश किया।

प्राची अधिवक्ता की वदत सुनीवाई व पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। वदत अवलोकन एवं मन्तव्य प्राची का मासिक न्याय संग्रह होने से प्राची का खातेका पत्र कर्तव्य द्वारा 136 RLR एन्ड स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बावड़ी को अधिदेशित किया जाता है कि वादगत आशानी ग्राम वासनी डांकरा के जैल खसरा सं. 1342/39 रकबा 55.494 हेक्टेयर किसका धारणी तृतीया में प्राची का नाम तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट अनुसार मीनाशरम पुत्र सुजाशरम के खान पर नाम शुद्ध कर दुर्गाशरम पुत्र सुरदाशरम इन्फॉर्म कर राजस्व रेकर्ड में अमलदशमद करावे। तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट इस अधिदेश का भाग रहेगी। राजस्व रेकर्ड में शेष प्राविष्टिमा प्रभावित रहेगी। तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदशमद करावे। तहसीलदार बावड़ी को अधिदेश पालनाही तद्विधि जारी है।

पत्रावली फैसल कुमार होकर नम्बर से कम होकर कायिल दफ्तर हो। फैसला खुल न्यायालय में सुनाया गया।

अधिवक्ता कलेक्टर एवं  
उपस्थित अधिकारी, बावड़ी